


earlier.  
ing a  
mbition  
taking a stroll in  
the park, my dad  
asked me, 'What  
would be the

## C NOTICE

An Co-Operative Thrift & Credit Society Ltd is under liquidation and premises. Every person who member had undertaken to pay have per month to compulsory This process continued for after that they started moving in Delhi and/or their native only they could not pay their posits and thus deprived of ip. The matter was referred to authority who opined that be treated as inoperative and notices be issued to them and response, the amount may be business of the society. d to them came back And their current address with the available. These inoperative separated and transferred to able account. This in effect membership. Any person who any amount shall show proof p (Share Certificate/Pass Book or two Receipts) within fifteen date of publication to the h. Raju, 97 Ras Vihar I.P. atparganj, Delhi- 110092 who make the payment.

Sd/-  
Sandeep Manaktala  
Liquidator South Indian  
Co-Operative Thrift & Credit  
Society Ltd



श्रीमती सीमा देवी, पत्नी श्री गौरव कुमार एवं श्री अक्षय सिंह पुत्र श्री आन सिंह, निवासी गांव, वैराली, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा वैराली सोपस्टोन माइनिंग क्षेत्रफल-4.773 हेक्टेएक्ट की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समय प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये सार्व स्तरीय पर्यावरण समाचार निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 14.09.2006 (प्रथासंसोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियाचयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्रावधान है, जिसे हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के सज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "ैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित / अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तर अधिकारी हो- लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
  2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।
- प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अधिलेख (I) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुमाष रोड, देहरादून (II) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन 46-बी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून (III) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्दानी, जनपद नैनीताल (IV) कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर, (V) कार्यालय जिला पचायत, बागेश्वर (VI) जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर में उपलब्ध है, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था / व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

श्रीमती सीमा देवी, पत्नी श्री गौरव कुमार एवं श्री अक्षय सिंह पुत्र श्री आन सिंह, निवासी गांव, वैराली, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा वैराली सोपस्टोन माइनिंग क्षेत्रफल-4.773 हेक्टेएक्ट की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई दिनांक 10.08.2023 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोडिङ-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग वर्षल स्कीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजनाओं के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने गौणिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्दानी में सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रवित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्रांक -यूकेपीसीबी/एक्टआ/ Noc-7836/ 295 दिनांक- 19.06.2023

सदस्य सचिव

IndiaExhibit No. 20/06/2023